

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ गठन/584/2025, दिनांक:-अप्रैल, 03, 2025,
आ दे श

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पूर्ण पीठ से सम्बन्धित अपीलों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 01 व 02.05.2025 को पूर्ण पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ एवं श्री सत्य पाल सिंह, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-03.05.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ गठन/584/2025, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 3- वरिष्ठ सहायक(नाजिर), मुख्यालय, लखनऊ।
- 4-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।